उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1077/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.226-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(280)-2023

लखनऊः दिनांकः 26 जुलाई ,2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की संस्तुतियों पर, एतदद्वारा, अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-844/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(11)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

अधिसूचना में, संलग्नक तीन में, शब्द, अंक और अक्षर "मैंने हमने/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के अधीन वित्तीय वर्ष ______ के दौरान अपने द्वारा पूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "मैंने हमने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अधीन पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्ष ______ से फॉरवर्ड चार्ज के अधीन अपने द्वारा पूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मकेनिज्म में प्रतिवर्तित नहीं किया है।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

26/7/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव